लिंग जाँच तथा कन्या भ्रूण हत्या

Sex Determination & Female Foeticide

Voluntary Health Association of India

लिंग जाँच तथा कन्या भ्रूण हत्या

Sex Determination & Female Foeticide

Voluntary Health Association of India

प्रस्तावना

फ्लिप चार्ट के बारे में

यह फ्लिप चार्ट लिंग निर्धारण (पहचान) तथा कन्या भ्रूण हत्या के बारे में है। यह लोगों में तथा स्वास्थ्य शिक्षकों, शिक्षकों सहायक नर्सों (ए एन एम्स) स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या विकास कार्यकर्ताओं को स्त्रियों के प्रति बढ़ती हिंसा के बारे में संवेदी बनाने में मदद करेगा। यह फ्लिप चार्ट शिशु के लिंग निर्धारण, कन्या (शिशु) भ्रूण हत्या तथा औरतों के प्रति हिंसा के बारे में अभियान का एक हिस्सा है।

हमने यही मुद्दा क्यों चुना ?

यह सन् 1982 का समय था, जब महिलाओं तथा स्वास्थ्य समूहों ने औरतों के प्रति बढ़ते भेदभाव एवं हिंसा के खिलाफ और लिंग से जुड़े गर्भपात, चिकित्सा तकनीकी के दुरुपयोग जैसे कि एमिनियोंसेंटेसेस (ऊल्व द्रव्य जाँच) तथा अल्ट्रा साउंट द्वारा लिंग की पहचान आदि के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करना शुरु कर दिया था।

जनसंख्या आँकड़े तथा अन्य आँकड़े यह दर्शाते हैं कि लिंग निर्धारण तथा कन्या भ्रूण गैर कानूनी बनाने संबंधी अधिनियम के बावजूद पुरुषों की अपेक्षा औरतों का औसत लगातार घट रहा है। यह फ्लिप चार्ट इस तरह के भेदभावों, डरों एवं आशंकाओं संबंधी परिचर्चा के लिए एक आधार भूत साधन है जोकि औरतों को झेलने पड़ते हैं और उस पर परिवार के लोगों द्वारा दबाव बनाया जाता है और यह भी दर्शाता है कि भेदभाव तथा हिंसा सम्बंधी मुद्दों से किस प्रकार से निपटा जा सकता है।

यह फ्लिप चार्ट औरतों से जुड़े शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षा के मुद्दों के प्रति अपनी सहचिंता प्रकट करता है।

यही औरतों के प्रति विद्यमान भेदभावों, उपेक्षाओं तथा औरतों के प्रति हिंसा- जिसमें कन्या भ्रूण हत्या एक उदाहरण मात्र है - को व्यक्त करने का एक प्रयास मात्र है।

INTRODUCTION

About the Flip Chart

This flip chart is about sex determination and female foeticide. This would help sensitize health educators, teachers, ANMs, health workers or development workers about the growing violence against women. This flip chart is part of the campaign against sex determination, female foeticide and violence against women.

Why did we choose this issue ?

It was since 1982 that women and health groups started agitating about increasing discrimination and violence against women, sex linked abortion,misuse of medical technology e.g. amniocentesis and ultra sound for sex determination.

The census figures and other figures have shown a deterioration of female ratio inspite of an act making sex determination for female foeticide illegal. This flip chart is basically a simple tool to facilitate discussion of the biases, fears, anxieties that women face and the pressure put on them by the family members, and how issues of discrimination and violence could be addressed.

The flip chart attempts to raise concerns related to women's physical, mental, social, and economic security.

It is an attempt to address the existing biases, discrimination and violence against women of which female foeticide is just one facet.

फ्लिप चार्ट का प्रयोग कैसे करें

आप जिस विषय या मुद्दे पर ध्यान खींचकर पर चर्चा करना चाहें उस पर प्रकाश डालते हुए फ्लिपचार्ट को पकड़ें। फ्लिप चार्ट का उपयोग मुख्यत: प्रतिभागियों का लिंग निर्धारण एवं कन्या भ्रूण हत्या पर ध्यान खींचने में सहायता पहुँचाना है। यह एक बहुत ही संवेदनशील एवं भावनात्मक मुद्दा होने के साथ एक नैतिक तथा कानूनी मुद्दा भी है। इसे संवेदनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने तथा दूसरों के नजरिए को सुनने एवं उनके अनुभवों को जानने की जरूरत है।

दूसरों की बातों का सम्मान करते हुए, विशेष रूप से उनके डरों, दबावों, उनके प्रतिबंधों तथा इसके उपागमों (समाधानों) पर उनके नजरिए तथा उनके दिमाग के बदलाव के लिए कार्यवाही रणनीतियों को समझने की जरूरत है।

आप खुद को इन मुद्दों पर शिक्षित करें विशेष रूप कानूनी प्राविधानों से जुड़ी बातों पर, दहेज हिंसा, अभिभावकत्व, बच्चों के पालन पोषण के खर्च, संपत्ति पर अधिकार, परित्याग तथा तलाक जैसे मुद्दों पर जानकारी हासिल करने की जरूरत है।

How to use this flip chart

Hold the flip chart to focus attention of the issue you want to discuss. The use of the flip chart is basically to help draw attention of the participants to the issue of sex determination female foeticide. This is a very sensitive and emotional issue, ethical as well as legal issue. Address it sensitively, listen to the views of others and their experiences.

Be respectful to what others have to say specially about their fears, their pressures, their constraints and their views on approaches, and action strategies to change mind set.

Educate yourself on these issues specially on matters related to legal provisions, violence, dowry, guardianship, maintenance of children, property rights, desertion and divorce.

परिचर्चा तथा कार्यवाही के लिए बिन्दु

अपने समूह से निम्न सवाल करें

- क्या आपके क्षेत्र में लिंग निर्धारण (पहचान) एवं कन्या भ्रूण हत्या होती है?
- क्या आपके क्षेत्र लिंग निर्धारण एवं कन्या भ्रूण हत्या बढ़ रही है? यह क्यों बढ़ रही है?
- क्या यह अनैतिक है या गैर कानूनी या फिर दोनों हैं?
- इसके लिए कौन दोषी है? सास-ससुर? पति? या स्वयं वह स्त्री? समाज? डाक्टर? कानूनी तंत्र? शिक्षा तंत्र?
- क्या इसलिए क्योंकि समाज पितृसत्तात्मक है। (अर्थात् यह पुरुष की श्रेष्ठता एवं स्त्री की निम्नता पर विश्वास करता है)
- क्या अच्छे मानवीय संबंध आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित होते हैं?
- औरतों के प्रति हिंसा क्यों बढ़ रहीं है? (लिंग निर्धारण एवं कन्या भ्रूण हत्या, यौन हिंसा, दहेज से मौतें, जहर देना व जलाना आदि।)
- क्या उपर्युक्त के बारे में किए जा रहे प्रयासों के प्रति आप जागरूक है?

Points for discussion and action

Ask your group following questions

- Is sex determination female foeticide taking place in your area ?
- Is sex determination female foeticide increasing ? why is it increasing?
- Is it unethical or illegal or both ?
- Who is to blame ? In-laws ? Husband ? Woman herself ? Society? Medical Doctors ?, Legal system ? Education system ?
- Is it because society is patriarchal (i,e it believes in male superiority and female inferiority)
- Is a good human relationship, based on mutual respect and trust possible ?
- Why is violence against women increasing ? (sex determination female foeticide, sexual violence, dowry deaths, poisoning, burns etc)
- Are you aware of efforts being made to address the above.

हमारे समाज में औरतों के प्रति शारीरिक एवं मानसिक हिंसा बढ़ रही है और साथ ही औरतों के प्रति भेदभाव भी बढ़ रहा है।

कन्या भ्रूण हत्या तथा कन्या नवजात शिशु हत्या इस सामाजिक विकृति का लक्षण है और औरतों के प्रति बढ़ती हिंसा के कई पहलू हैं। जैसे कि दहेज में हत्या, आत्महत्या, जला देना, जहर देना, एसिड (तेजाब) फेंकना, बलात्कार, मानसिक यातना, चिकित्सा उपचार न दिलाना, उसे मायके के परिवारी जनों एवं मित्रों से न मिलने देना, अलग-अलग करना, अपने ही जीवन एवं शरीर के निर्णय लेने का हक न देना आदि।

PHYSICAL AND MENTAL VIOLENCE AGAINST WOMEN IS INCREASING IN OUR SOCIETY AND SO IS DISCRIMINATION AGAINST WOMEN.

FEMALE FOETICIDE AND FEMALE INFANTICIDE ARE A SYMPTOM OF THIS SOCIAL PATHOLOGY AND PART OF THE SPECTRUM OF VIOLENCE WOMEN FACE E.G. DOWRY DEATHS, SUICIDES, BURNS, POISONING, ACID THROWING, RAPES, MENTAL TORTURE, DENIAL OF MEDICAL TREATMENT AND COMMUNICATION WITH HER FAMILY AND FRIENDS, ISOLATION, NO RIGHT TO DECISION MAKING ABOUT HER OWN LIFE AND HER OWN BODY.

दुनियाभर के ज्यादातर देशों में लड़कियों तथा औरतों की संख्या लड़कों तथा पुरुषों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है क्योंकि औरत को प्राकृतिक, जैव वैज्ञानिक उत्तर जीविता के लाभ प्राप्त हैं।

हमारे देश में केवल एक राज्य ही ऐसा है जहाँ औरतों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है और वह राज्य है केरल। औरतों की उच्च साक्षरता दर तथा औरत की समाज में बेहतर स्थिति ने इसमें काफी बड़ी भूमिका निभाई है।

उत्तर भारत के राज्यों जैसे कि राजस्थान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा तमिलनाडु के कुछ जिलों में स्त्री-पुरुष के अनुपात की स्थिति बहुत खराब है।

लिंग अनुपात का इस तरह प्रतिवर्ष कम होते रहना चिंता का विषय है। इसके द्वारा औरतों के प्रति बढ़ता भेदभाव एवं हिंसा प्रकट होती है। जब से जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम ने केवल एक बच्चे की धारणा को माना एवं प्रोत्साहित किया है, अत: ज्यादातर माता-पिता लड़का शिशु पैदा करने की प्राथमिकता देते हैं।

IN MOST OF THE COUNTRIES IN THE WORLD THE NUMBER OF 'GIRLS AND WOMEN' IS MORE THAN 'BOYS AND MEN', BECAUSE OF THE NATURAL, BIOLOGICAL SURVIVAL ADVANTAGE OF FEMALES

THERE IS ONLY ONE STATE IN OUR COUNTRY WHERE THERE ARE MORE WOMEN TO MEN AND THAT IS IN KERALA. HIGH LITERACY RATE OF WOMEN AND HIGHER STATUS OF WOMEN IN THAT SOCIETY HAS SOMETHING TO DO WITH IT.

THIS IS WORST IN NORTH INDIAN STATES e.g.RAJASTHAN, HARYANA, BIHAR AND SOME DISTRICTS OF PUNJAB AND TAMIL NADU.

THE SYSTEMATIC WORSENING OF THE SEX RATIO i.e.DECREASE IN NUMBER OF GIRLS IS A CAUSE OF GREAT CONCERN. IT REFLECTS INCREASE IN THE DISCRIMINATION AND VIOLENCE AGAINST WOMEN. POPULATION CONTROL PROGRAMME THAT ENCOURAGE AND RECOMMEND ONLY ONE CHILD, PARENTS PREFER FOR THAT CHILD TO BE MALE.

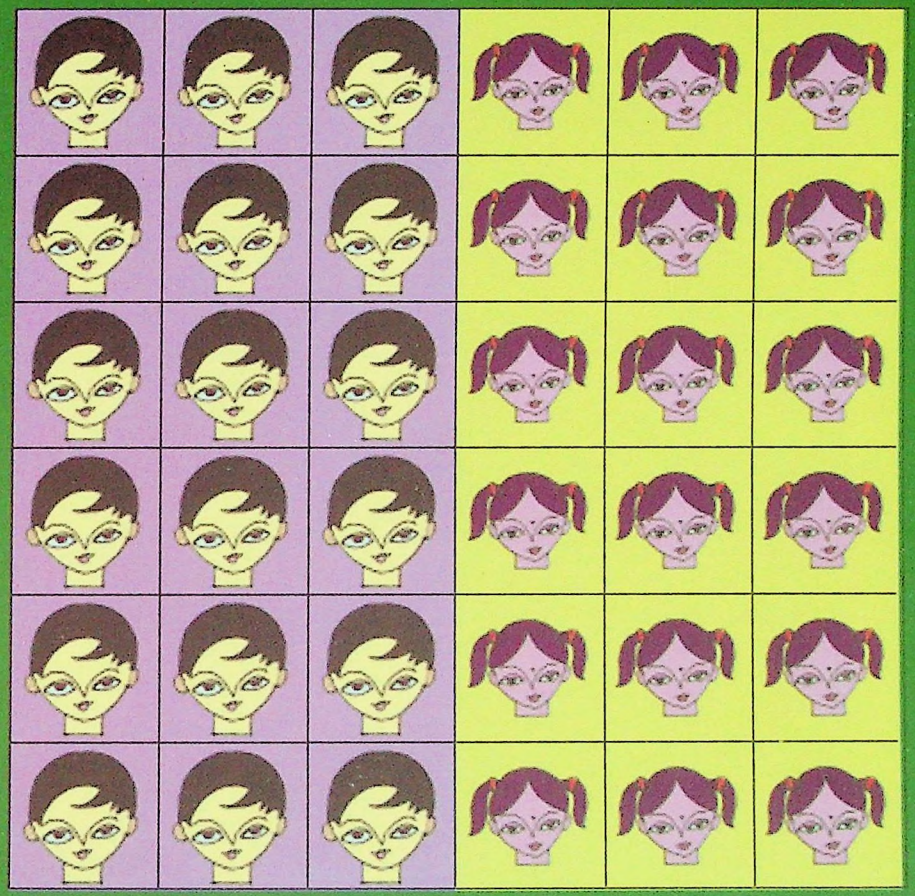

यद्यपि औरतों एवं लड़कियों की संख्या में कुछ हद तक गिरावट आई है लेकिन लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात एक समान होना चाहिए अर्थात् आधी-आधी यानि पचास-पचास फीसदी।

लड़कियों तथा औरतों की संख्या में गिरावट और लड़कों एवं पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों के अनुपात में आई कमी यह बात प्रकट करती है कि या तो वे मर रही हैं या फिर मारी जा रही हैं।

EVEN IF NUMBER OF WOMEN AND GIRLS SOMEWHAT DECREASES THE RATIO OF GIRLS AND BOYS SHOULD BE EQUAL i.e. HALF AND HALF - FIFTY FIFTY.

THE DECREASE IN NUMBER OF GIRLS AND WOMEN AND THE RATIO OF GIRLS BEING MUCH LESS THAN BOYS AND MEN, SHOWS THAT EITHER THEY ARE DYING OR ARE BEING KILLED.

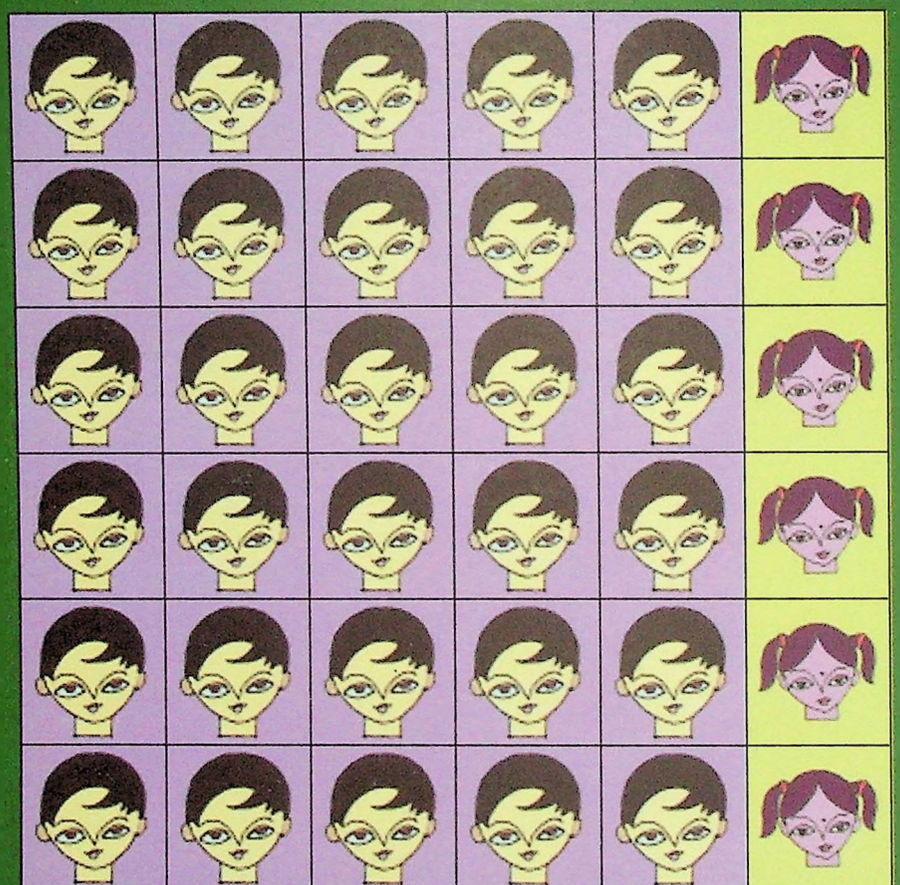

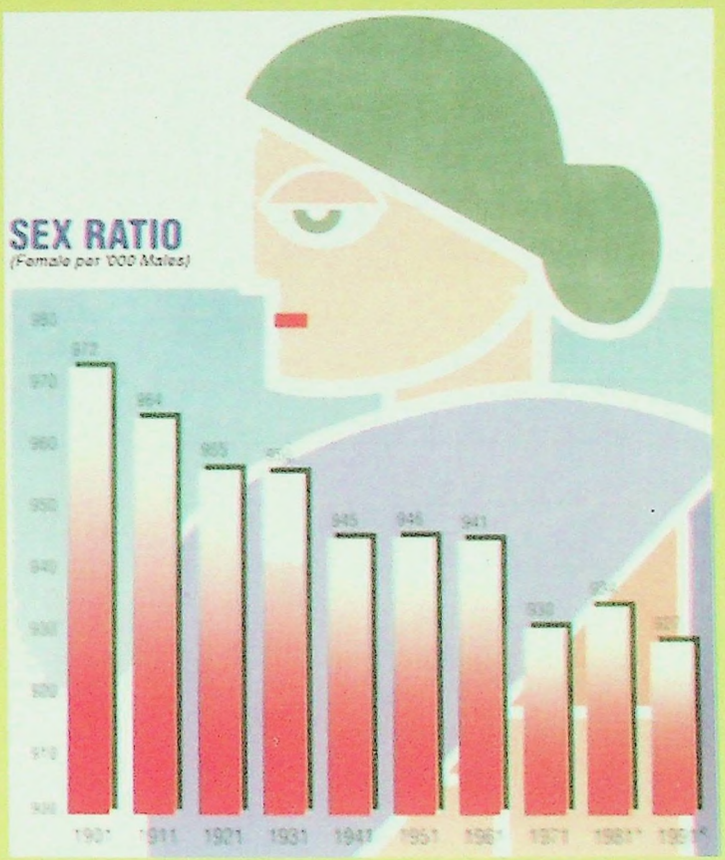

8

SEX RATIO
(Female per '000 Males)
980
970
960
950
940
930
920
910
900
972
964
955
945
946
941
930
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991

लड़कियों की हत्या क्यों की जाती है?

कुछ परिवार डरते हैं कि लड़कियों की शादी पर भारी दहेज देना पड़ेगा जो वे वहन नहीं कर पाएंगे या फिर वे देना नहीं चाहते हैं। हालांकि जहाँ दहेज एक ओर एक सामाजिक रिवाज है और यह दुल्हन के लिए स्त्री धन है जोकि अपनी लड़कियों को इस दृष्टि से मुक्त भाव से दिया जाता है कि उन्हें अपने नए जीवन की शुरुआत में सहायता मिल सके। **वहीं दूसरी तरफ दहेज देना और माँगना गैर कानूनी है।** यह दहेज का डर ही है जो एक लड़की शिशु के प्रति भेदभाव का रूप ले लेता है यहाँ तक कि कन्या भ्रूण की हत्या तक होती है। आज माता-पिता को लड़कियाँ दहेज के दबाव के कारण एक बोझ महसूस होती है। **इसका समाधान यह है कि दहेज की समस्या से निपटा जाए और न तो दहेज लिया जाए और न दहेज दिया जाए एवं इसके लिए लड़कियों की हत्या भी न हो।**

WHY ARE THE GIRLS BEING KILLED ? SOME FAMILIFS ARE AFRAID THAT THEY WILL HAVE TO PAY HUGE DOWRY WHICH THEY CANNOT AFFORD OR WOULD NOT LIKE TO PAY. WHILE ON ONE HAND DOWRY IS A SOCIAL CUSTOM AND IT IS THE BRIDE'S STREEDHAN, WHICH IS FREELY GIVEN AS THE DAUGHTER'S SHARE TO HELP HER START HER NEW LIFE, GIVING AND DEMANDING PAYMENT OF DOWRY IS ILLEGAL. IT IS FEAR OF HAVING TO GIVE DOWRY THAT LEADS TO DISCRIMINATION AGAINST GIRL CHILDREN AND EVEN FEMALE FOETICIDE. GIRLS ARE LOOKED UPON AS A LIABILITY BECAUSE OF THE DOWRY PRESSURE ON PARENTS. **SOLUTION IS TO DEAL WITH THE DOWRY PROBLEM BY REJECTING TAKING AND GIVING OF DOWRY AND NOT BY KILLING GIRLS.**

100

भारत के कुछ हिस्सों में गरीबी एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण कुछ परिवार नवजात कन्या शिशु की हत्याएं ही कर देते हैं। क्योंकि वे डरते हैं कि वे एक और पेट को कैसे भरेंगे। चूँकि वे केवल कुछेक पेट ही भर सकते हैं अत: उसके लिए वे लड़का शिशु को प्राथमिकता देते है क्योंकि वे सोचते हैं कि आगे चलकर पैसा कमाने में लड़का उनकी मदद करेगा और वे गरीबी से छुटकारा पा सकेंगे तथा उनके बूढ़े होने पर वह लड़का उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। यद्यपि अध्ययन यह दर्शाते हैं कि अक्सर लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ वृद्धावस्था में अपने माता पिता की देखरेख एवं सेवा ज्यादा करती हैं। भारत में ऐसे अनेक भाग है जहाँ लड़कियाँ पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारी होती हैं और साथ ही माता पिता की देखभाल के लिए पूर्ण जिम्मेदार होती हैं। ऐसे समाजों में औरते उच्च सम्मान प्राप्त होती हैं।

IN SOME PARTS OF INDIA IT IS POVERTY THAT DRIVES SOME FAMILIES TO KILL A NEW BORN IF SHE IS A GIRL, AS THEY FEAR THEY CAN NOT FEED ANOTHER MOUTH. IF THEY CAN FEED ONLY FEW MOUTHS THEY PREFER IT TO BE A SON, AS THEY THINK THAT THE SON WILL HELP THEM EARN AND PROVIDE SOCIAL SECURITY IN THEIR OLD AGE. STUDIES HAVE SHOWN THAT IT IS OFTEN THE DAUGHTERS WHO PROVIDE CARE TO THE PARENTS IN THEIR OLD AGE. THERE ARE PARTS OF INDIA WHERE IT IS THE DAUGHTERS WHO INHERIT PARENTAL PROPERTY AND ARE ALSO RESPONSIBLE FOR THE TOTAL CARE OF THE PARENTS. THE WOMEN IN SUCH SOCIETIES ARE HIGHLY RESPECTED.

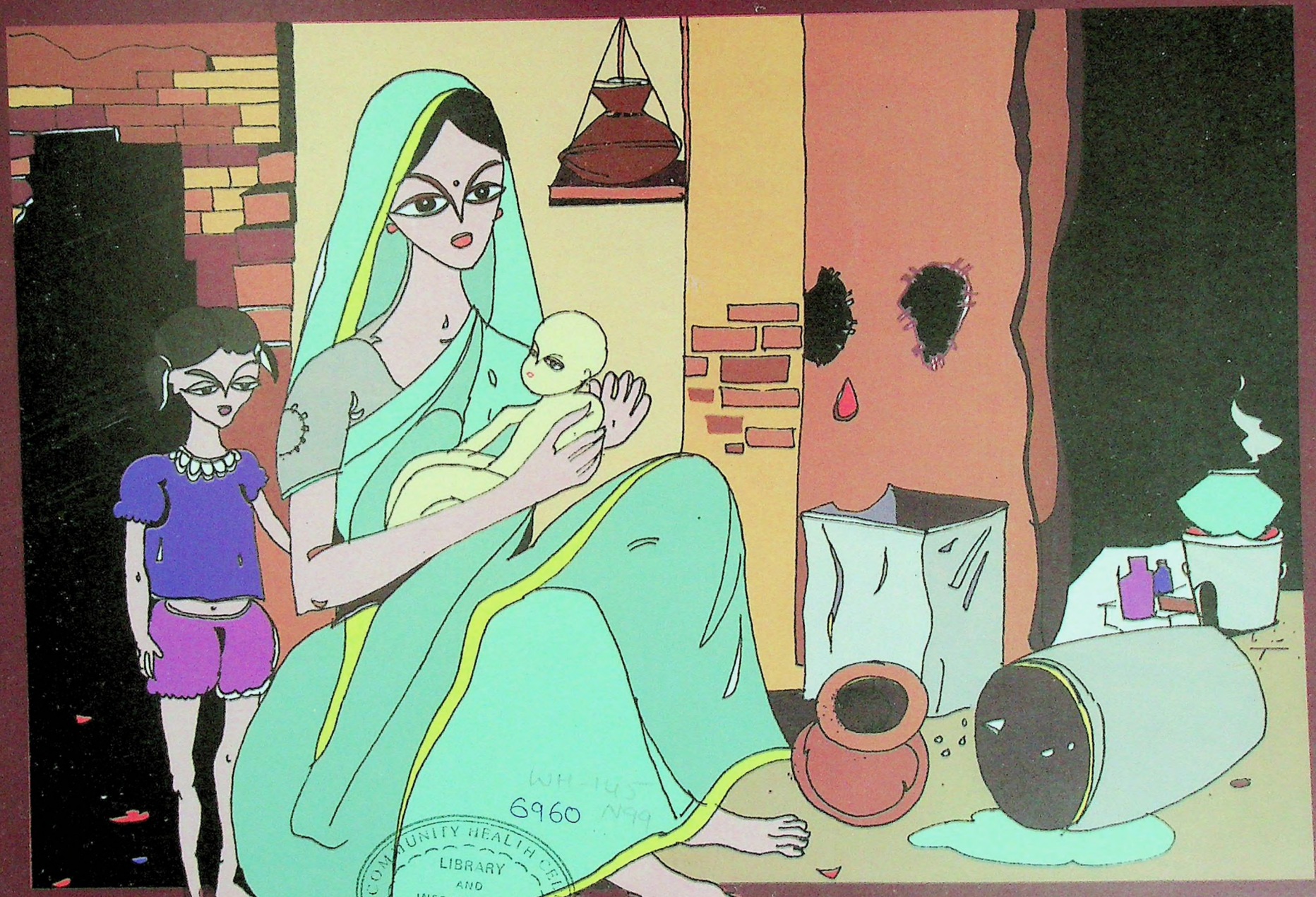

WH-145
6960 N99
COMMUNITY HEALTH CELL
LIBRARY
AND
INFORMATION
CENTRE

भौतिकतावाद, उपभोक्तावाद, लालच के बढ़ने तथा दहेज विरोधी अधिनियम लागू न होने से लड़कियों तथा लड़कियों के माता पिता माँग एवं दबाव बढ़ता रहता है और इसके साथ ही कन्या शिशुओं पर भेदभाव भी बढ़ता रहता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लड़कियों के सही मूल्य को समझा जाए और घर तथा समाज में उसकी हिस्सेदारी को ठीक से आँका जाए।

WITH INCREASE IN MATERIALISM, CONSUMERISM, GREED AND NON IMPLEMENTATION OF THE ANTI-DOWRY ACT, THE DEMANDS AND PRESSURE ON GIRLS AND ON THE GIRL'S PARENTS IS INCREASING. WITH THIS -IS INCREASING THE DISCRIMINATION AGAINST GIRL CHILDREN. IT IS IMPORTANT TO RECOGNIZE THE TRUE VALUE OF A GIRL AND HER CONTRIBUTION TO HER HOME AND SOCIETY.

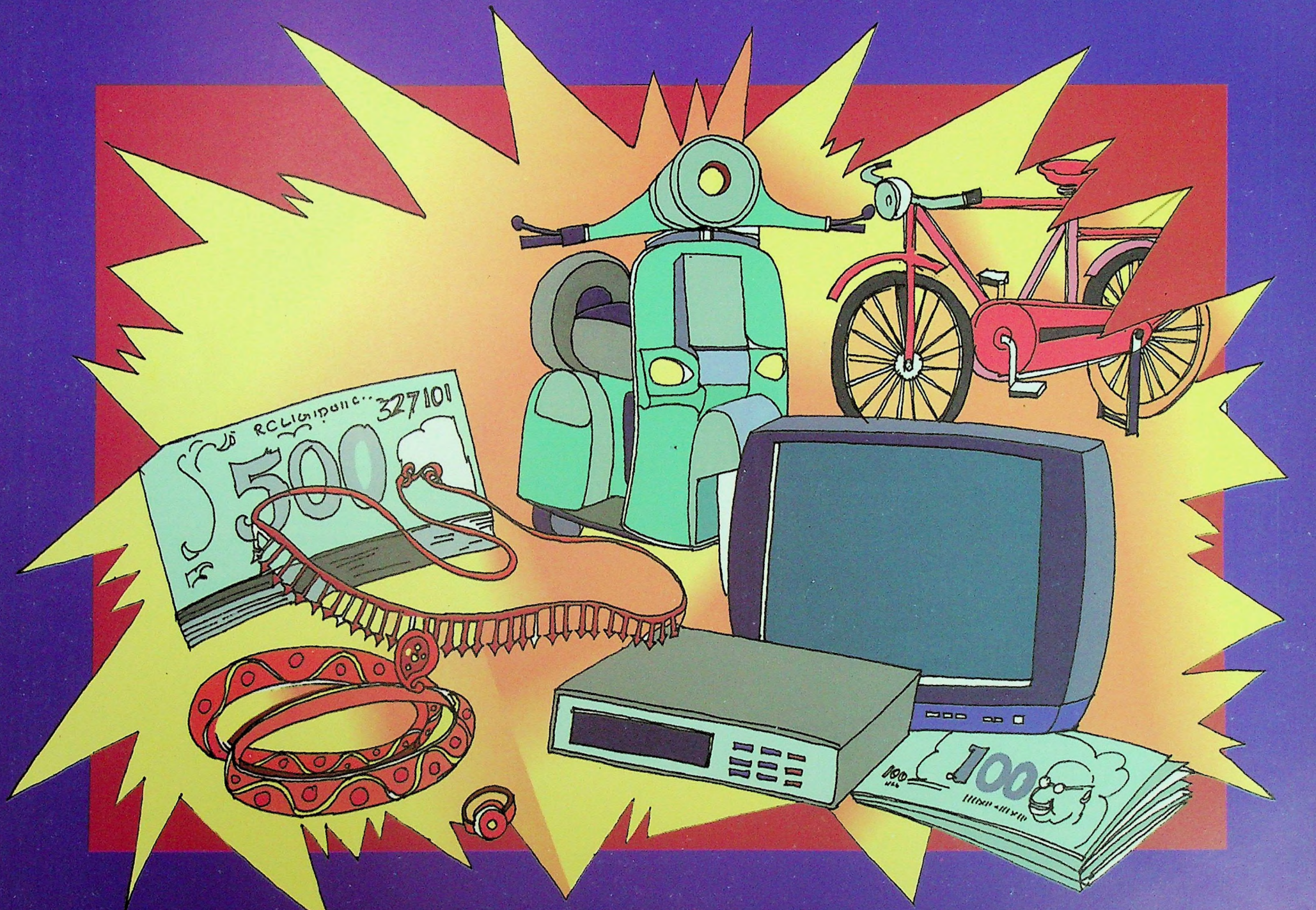
500
100

कुछ परिवारों में लड़के के पैदा होने का मतलब है कि दहेज पाने का सपना देखना (साकार हुआ)। इस कारण वे लड़कों की शादी से पहले ही उसकी माँगों की सूची बना लेते हैं। दुल्हन की ओर से कीमती वस्तुएं एवं उपहार पाने की चाहतें और उन पर दबाव बहुत ज्यादा होते है। समाज में लालच बढ़ता जाता है तथा औरतों के कष्टों में एक कारण और बढ़ जाता है। यह लालच हमारे समाज में स्वार्थ को क्यों बढ़ावा देता है।

BIRTH OF A BOY FOR SOME PARENTS MEANS DREAMS OF GETTING DOWRY. THEY PLAN THEIR DEMANDS, MAKE LISTS OF WHAT THEY WOULD WANT, EVEN BEFORE THE BOY'S MARRIAGE. THE PRESSURE AND EXPECTATIONS FROM THE BRIDE IN TERMS OF GETTING VALUABLES ARE UNREALISTIC. THE THE GREED IN SOCIETY IS INCREASING AND A CAUSE OF GREAT SUFFERING TO WOMEN. WHY IS GREED INCREASING IN OUR SOCIETY ?

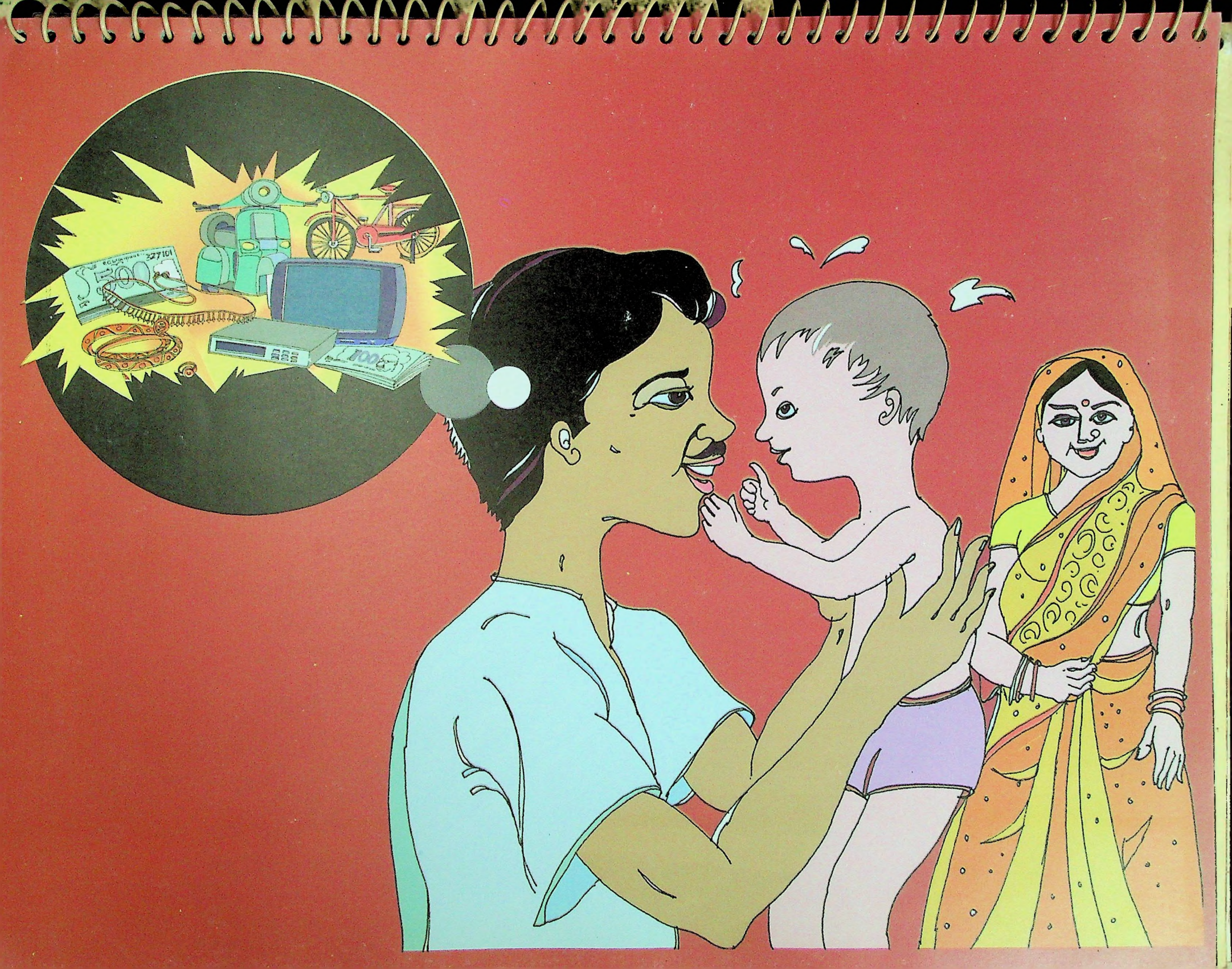

एक नर भ्रूण के लिंग का निर्धारण वाई (y) गुणसूत्र (क्रोमोसोम) करता है जोकि पिता से प्राप्त होता है। केवल पिता ही इसे प्रदान कर सकता है। अत: लड़का शिशु न पैदा करने के लिए माता को दोषी ठहराना बिल्कुल गलत, निर्दयतापूर्ण तथा अवैज्ञानिक है।

THE SEX OF THE MALE FOETUS IS DETERMINED BY THE 'Y' CHROMOSOME WHICH COMES FROM THE FATHER - WHICH ONLY HE CAN GIVE. BLAMING THE MOTHER FOR NOT PRODUCING A SON IS WRONG, CRUEL AND UNSCIENTIFIC.

XX
XY

औरतों के ऊपर लड़का पैदा करने के लिए अनेकों तरह के दबाव बढ़ जाते हैं। गर्भावस्था की शुरुआत से ही वे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है कि उन्हें कोई लड़का पैदा होगा या फिर लड़की।

A LOT OF MENTAL PRESSURE IS PUT ON WOMEN TO PRODUCE A SON. RIGHT THROUGH PREGNANCY THEY ARE VERY ANXIOUS WHETHER THEY WILL HAVE A BOY OR GIRL.

इसी कारण इस चिन्ता के कारण बहुत भारी संख्या में अजन्मे शिशु के लिंग सुनिश्चय करने के लिए परीक्षण किए जाते हैं। इसका मुख्य पहलू यह होता है कि यदि कन्या शिशु का भ्रूण है तो उस गर्भ को समाप्त कर दिया जाए। पहले यह परीक्षण बच्चे और बच्चे दानी के बिच में पानी (एमनियोसेंटेसिस) के द्वारा होता था लेकिन अब अल्ट्रासाउंड विधि से अजन्मे शिशु के (भ्रूण के लिंग) को जाँचा जाता है। प्राय: अल्ट्रासाउंड जाँच के दौरान स्त्री या पुरुष शिशु के जनन अंगों को देखा जाता है ताकि शिशु के लिंग का सुनिश्चय हो सके। यह केवल तभी संभव होता है जब गर्भावस्था बीस हफ्तों के आस पास या इससे ज्यादा हो । चूँकि ज्यादा छोटे भ्रूण का जनन अंग ठीक से नहीं दिखता इसलिए यह जाँच ज्यादातर गर्भ के बढ़ने पर ही होती है । इतनी देर की स्थिति में किए गए गर्भपात खतरनाक साबित हो सकते हैं।

IT IS BECAUSE OF THIS ANXIETY THAT LARGE NUMBER OF TESTS ARE BEING DONE TO DETERMINE THE SEX OF THE UNBORN BABY. THE IDEA IS TO TERMINATE THE PREGNANCY, IF THE FOETUS IS FEMALE. EARLIER IT WAS WITH AMNIOCENTESIS BUT NOW IT IS WITH ULTRASOUND THAT SEX DETERMINATION OF THE UNBORN FOETUS IS DONE. USUALLY THE MALE AND FEMALE GENITAL ORGANS ARE SEEN IN THE ULTRASOUND TO DETERMINE THE SEX OF THE CHILD. THIS IS REALLY POSSIBLE ONLY AROUND 20 WEEKS OF PREGNANCY. ABORTION DONE AT SUCH A LATE STAGE CAN BE DANGEROUS.

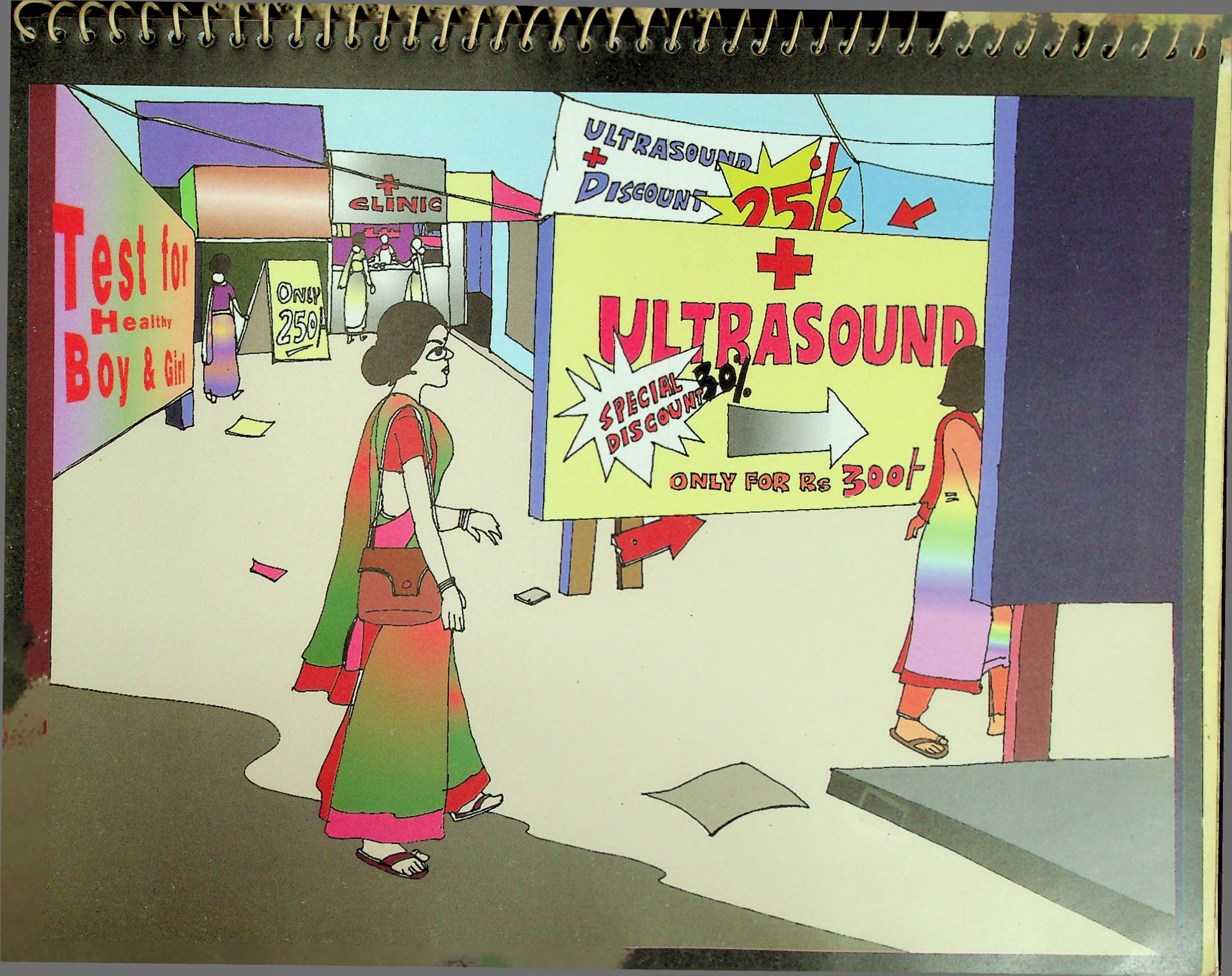

Test for Healthy Boy & Girl
ONLY 250/-
CLINIC
ULTRASOUND + DISCOUNT
25%
ULTRASOUND
SPECIAL DISCOUNT 30%
ONLY FOR Rs 300/-

अल्ट्रासाउंड विधि द्वारा लिंग निर्धारण की जाँच के बाद गर्भपात अक्सर देर से होते हैं। देर से किए गए गर्भपात माँ के लिए खतरनाक होते हैं।

ABORTIONS DONE AFTER SEX DETERMINATION THROUGH ULTRA SOUND ARE USUALLY DELAYED. DELAYED ABORTIONS ARE DANGEROUS FOR THE MOTHER.

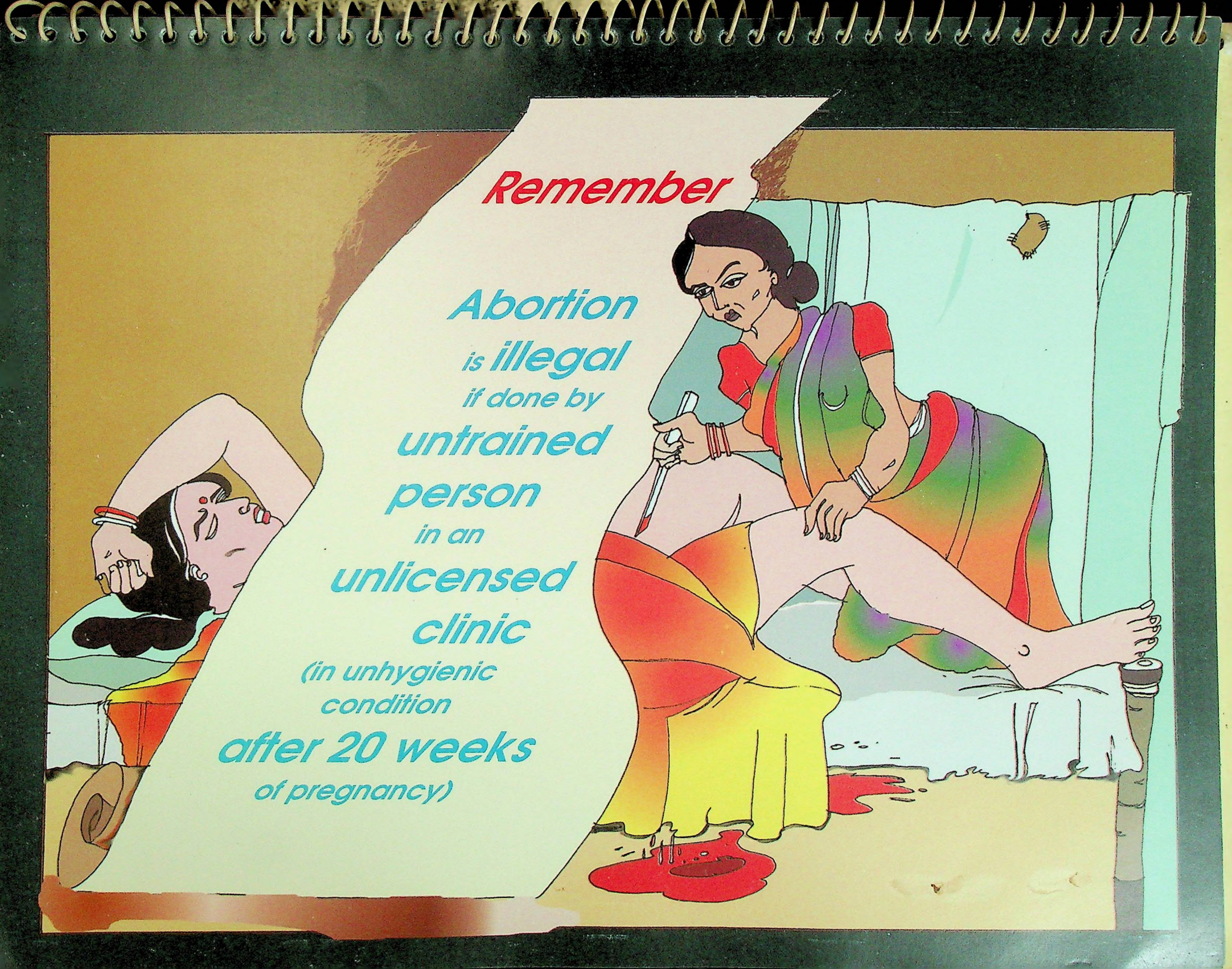
Remember
Abortion
is illegal
if done by
untrained
person
in an
unlicensed
clinic
(in unhygienic
condition
after 20 weeks
of pregnancy)

शहरी एवं देहाती दोनों ही क्षेत्रों में असुरक्षित गर्भपात किए जाते हैं। कोई भी गर्भपात स्पष्ट कारणों की बजह से गर्भधारण के बारह हफ्तों के भीतर किया जाना चाहिए, इस गर्भपात के कारण गर्भपात अधिनियम के दायरे में होने चाहिए जैसे कि माँ के जीवन को किसी संकट से बचाना या गर्भ के अंदर बच्चे की गलत संरचना या बलात्कार आदि के कारण गर्भधारण होना।

गर्भपात केवल प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही लायसेंस प्राप्त क्लीनिक में किए जाने चाहिए या जहाँ स्वच्छता पूर्ण समस्त सुविधाएं उपलब्ध हो। अस्वच्छता पूर्ण स्थितियों में किया गया गर्भपात स्त्री के प्रजनन अंगों को संक्रमित कर सकता है जिससे कि भविष्य में गर्भधारण करना मुश्किल (बांझपन) हो सकता है।

ILLEGAL ABORTIONS ARE CONDUCTED BOTH IN URBAN AND RURAL AREAS. ABORTION SHOULD BE CONDUCTED BEFORE 12 WEEKS FOR CLEAR REASONS, ACCEPTABLE UNDER THE MTP ACT. Eg. TO SAVE THE LIFE OF THE MOTHER, INCASE OF RAPE OR IF THE CHILD IS CONGENITALLY MALFORMED, ETC.

ABORTION SHOULD BE CONDUCTED BY TRAINED PERSONS IN A LICENSED HYGIENIC CLINIC OR HEALTH FACILITY. UNHYGIENICALLY DONE ABORTIONS CAN INFECT WOMEN'S INTERNAL ORGANS, MAKING IT DIFFICULT FOR THEM TO CONCEIVE.

यदि लिंग निर्धारण का परीक्षण कन्या भ्रूण हत्या के उद्देश्य से किया जाए तो यह गैर कानूनी काम है। यह काम अनैतिक होने के साथ-साथ यदि कोई डाक्टर गैर कानूनी काम करता है तो उसे पहले अपराध पर 10,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है और यदि यह अपराध दुबारा किया जाता है तो यह दंड बढ़कर 50 हजार रुपए तथा पाँच साल का कठोर कारावास हो सकता है। इस तरह की जाँच करवाने वाली एक औरत भी दोषी मानी जाती है और उसे भी आर्थिक दंड तथा जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ दबाव डालने वाले घर के सदस्यों को भी आर्थिक दंड व जेल की सजा हो सकती है।

कन्या भ्रूण हत्या के उद्देश्य से लिंग निर्धारण की जाँच कराने वाली स्त्री को दंड देने के बारे में बहुतों की समझ के अनुसार मानसिक पीड़ा से पीड़ित को और प्रताड़ित करना हैं; क्योंकि वे मानती हैं कि बहुत सारी औरतें परिस्थिति का शिकार होती हैं जहाँ उनका अपने जीवन और शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं होता है , और उन्हें कन्या भ्रूण हत्या के इरादे से लिंग निर्धारण की जाँच कराने के लिए मजबूर किया जाता है; क्योंकि उन पर घरवालों का दबाव होता है।

TO DO SEX DETERMINATION TESTING WITH THE AIM OF DOING FEMALE FOETICIDE IF FOUND TO BE A GIRL IS **ILLEGAL** BESIDES BEING **UNETHICAL.** DOCTORS CONDUCTING THIS CAN BE FINED FOR Rs.10,000 FOR FIRST CHARGE. WITH THIS INCREASING TO Rs. 50,000 FINE AND 5 YEARS IN JAIL FOR 2ND CONVICTION. A WOMAN SEEKING SUCH A TEST IS ALSO GUILTY AND CAN ALSO BE FINED AND PUT IN JAIL AND, SO ALSO THE FAMILY MEMBERS PRESSURIZING HER CAN BE JAILED AND FINED.

PUNISHING OF THE WOMAN UNDERGOING SEX DETERMINATION FEMALE FOETICIDE IS CONSIDERED VICTIMIZING OF THE VICTIM BY MANY PEOPLE WHO FEEL THAT MANY WOMEN ARE VICTIMS OF CIRCUMSTANCES, ON WHICH THEY HAVE NO CONTROL. THEY ARE FORCED TO UNDERGO SEX DETERMINATION FEMALE FOETICIDE BECAUSE OF FAMILY PRESSURE.

MEDICAL
5 Years JAIL WITH Rs. 50,000
3 YEARS JAIL WITH RS. 10,000
३ साल जैल और जूर्माना रु १००००

Some other VHAI's resource materials on women's health & gender concerns

FLIP CHARTS

- Infertility
- Prevent Unsafe Abortion
- Sex determination and female foeticide
- Post Natal Care

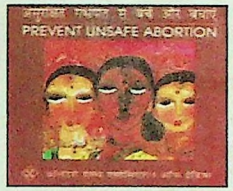

EDUCATION KIT

- Reproductive and Child Health Kit

POSTERS

- Violence against women
- Infertility
- Gender sensitivity
- Male responsibility
- Uterine prolapse
- Sex Determination & Female foeticide

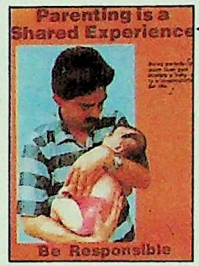

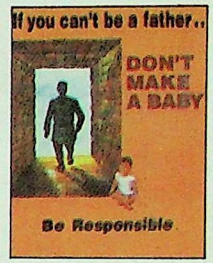

All materials are available at :

Voluntary Health Association of India
Tong Swasthya Bhawan
40, Institutional Area, South of I.I.T, New Delhi–110 016
Phone : 6518071/72, 6515018, 69615871, 6962953
Fax : 011-6853708, Email : vhai@del2.vsnl.net.in